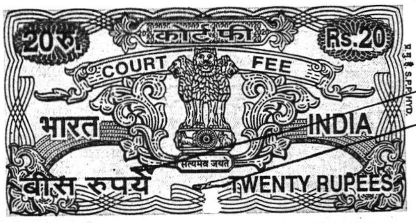

IN THE BOARD OF REVENUE MADHYA PRADESH MOTIMAHAL GWALIOR

Revision No. /2014 R 1516-III/14

Applicant....... Narendra Kumar S/o Shri Gendalal Jain Aged 47 years, Occupation-Shopkeeper, R/o Village Amolpatha Karera, District Shivpuri at present Chota Bazar, Narwar District Shvipuri (M.P.)

Versus

Respondents....... 1. Mohan Kumar S/o Late Shri Ramjilal Lakhera, R/o Village Amolpatha, Tehsil Karera District Shivpuri at present Narwar, District Shivpuri (M.P.)

Proforma Respondent2. Dinesh Kumar S/o Shri Gendra Lal Jain, R/o Village Amolpatha, Tehsil Karera at present Ganesh Bazar, Narwar Tehsil, District Shivpuri (M.P.)

Revision Being Aggrieved by the Proceedings Initiated By Learned SDO Karera District Shivpuri Bearing Case No. 124/2013-14/B 121

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1516–तीन / 14 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–7–2015	अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदन पत्र पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । निगरानी मेमों को देखने से स्पष्ट है कि निगरानी मेमों में किस आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है इसका कोई उल्लेख नहीं है और निगरानी मेमों में इस आशय की प्रार्थना की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित समस्त कार्यवाही निरस्त की जाये । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है । समस्त कार्यवाहियों को एक साथ चुनौती नहीं दी जा सकती है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निरस्त की जाती है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	